



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 13692/2025
URN: CRLMB / 26460U / 2025

Satyam Bhadada S/o Shri Sanjay Bhadada

----Petitioner

Versus

Union of India

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ashish Gausinga, Adv. Mr. Ikhlaash Mohd. Adv. Mr. Giriraj Bardhar, Adv. Mr. Kapil Bardhar, Adv. Mr. Bhuwan Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Tej Prakash Sharma, SPP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

21/07/2026

जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द के पत्र क्रमांक 21452-54 दिनांक 14.07.2026 व थानाधिकारी, पुलिस थाना केलवा, जिला राजसमन्द के पत्र क्रमांक 1731 दिनांक 14.07.2026 का तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

इस न्यायालय द्वारा दिनांक को 08.07.2026 को पारित आदेश में एन.सी.बी. क्षेत्रीय इकाई, जयपुर के प्रकरण संख्या 9/2025 के संबंध में दिनांक 02.08.2025 को सांय 4.00 बजे से दिनांक 03.08.2025 को रात्रि 3.00 बजे तक की अवधि की पुलिस थाना केलवा के सी.सी.टी.वी. कैमरे की रिकॉर्डिंग व डाटा का फर्द विश्लेषण आगामी पेशी पर इस न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने का आदेश दिया गया था तथा आगामी पेशी पर उक्त रिकॉर्डिंग व फर्द विश्लेषण प्रस्तुत नहीं करने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना



केलवा को स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अपने स्पष्टीकरण सहित तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था। उक्त आदेश की पालना में थानाधिकारी, पुलिस थाना केलवा ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण मय तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया है।

ऐसे में थानाधिकारी, पुलिस थाना केलवा को इस आशय का नोटिस जारी हो कि क्यों ना इस न्यायालय के आदेश दिनांक 08.07.2026 की पालना नहीं कर न्यायालय की अवमानना करने के संबंध में उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावे। थानाधिकारी, पुलिस थाना केलवा द्वारा आगामी तारीख पेशी पर उक्त नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं करने व फर्द विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से दिनांक 02.08.2025 को सांय 4.00 बजे से दिनांक 03.08.2025 रात 3.00 बजे तक की अवधि की पुलिस थाना केलवा, राजसमन्द के सी.सी.टी.वी. कैमरे की रिकॉर्डिंग/डाटा का फर्द विश्लेषण न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेश दिया गया था, जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि पुलिस थाना केलवा द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया व फर्द गिरफ्तारी तैयार नहीं की गयी।

ऐसे में कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि पुलिस थाना केलवा में कितने कैमरे लगे हुए हैं और किस-किस स्थान पर लगे हुए हैं, प्रत्येक कैमरे की अवधि 10 घंटे ही है, इस संबंध में विस्तृत विवरण थानाधिकारी, पुलिस थाना केलवा, राजसमन्द व जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द से प्राप्त की जावे।



प्रार्थी/अभियुक्त का छाया चित्र व पहचान एन.सी.बी., जयपुर से या अन्य आधार पर क्यों नहीं ली जा सकी तथा सी.सी.टी.वी. व डी.वी.आर. के विशेषज्ञ पुलिस थाना, केलवा या राजसमन्द जिले में नहीं हों, इस संबंध में थानाधिकारी, पुलिस थाना, केलवा, राजसमन्द व पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द ने अपनी रिपोर्ट में अंकन नहीं किया है। न्यायालय के आदेश दिनांक 08.07.2026 की पालना नहीं किया जाना अत्यन्त गंभीर है।

अतः जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द को आदेशित किया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी पर संबंधित सी.सी.टी.वी. कैमरों की रिकॉर्डिंग व डाटा का फर्द विश्लेषण प्रस्तुत करावें। जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द व्यक्तिशः या वी.सी. के माध्यम से तथा थानाधिकारी, पुलिस थाना केलवा व्यक्तिशः आगामी तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित रहें।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त आदेश की पालना करवाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जावे।

रजिस्ट्रार (न्यायिक), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्रति जरिये ई-मेल जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द को अविलम्ब प्रेषित की जावे।

प्रकरण दिनांक 29.07.2026 को पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J